प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 28.03.2026

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹56,000/- के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे **#Operation Conviction** अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (सत्र न्यायालय) द्वारा अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:

थाना: म्योरपुर, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0: 86/2019
एस0टी0 नं0: 135/2019
धारा: 302/34, 307/34, 323/34 व 504 भादवि0

अभियुक्तगण:

1. शिवकुमार खरवार पुत्र छोटेलाल खरवार
2. अवधेश खरवार पुत्र छोटेलाल खरवार
3. महेन्द्र खरवार पुत्र छोटेलाल खरवार
4. दशमतिया पत्नी अवधेश खरवार

समस्त निवासीगण पड़री बराईडाड थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:

मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक को धारा 302 भादवि0 में आजीवन सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा 307/34 भादवि0 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व

SONBHADRA POLICE

03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा 323/34 भादवि0 व धारा 506 भादवि0 में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:

उक्त प्रकरण में थाना म्योरपुर पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा समन्वित रूप से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए कठोर सजा दिलाई जा सकी।

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को दण्डित कराए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।

SONBHADRA POLICE